

Form No.III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

प्रकरण सं. योगेन्द्र सिंह बनाम. गोविन्दगढ़ जिला-अलवर शा. वि. नं. 12/2024  
तारीख रजू. 23.10.2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.10.2024	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा न करें, रहन बैय, मुंतकिल न हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उभय पक्षकारान को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी ता. 0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं. 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 3, 4, 7, 8 वाके ग्राम फाहरी तह0 गोविन्दगढ़ में मौके यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 18.11.2024 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय  
इनिशियल जज

24.3.25

पत्रावली प्रस्तुत है। कुतुम्बाफ पात्रावली  
वहल हेतु समप किया जाना है पत्रावली वाली  
वहल प्रार्थना पत्र-212 आंशिक सिंड 04.4.25  
को फेरा हो।

  
उपस्थंड अधिकारी  
गोविन्द्याद (अलवर) राज०

4.4.25

पत्रावली प्रस्तुत है। 0.0.2024 को  
सोपे लाल / पत्रावली कापडा पत्राव  
28.4.25 सोपे लाल  
जैत रीस

28.4.25

~~Notary~~  
~~Signature~~  
28.4.25

पत्रावली प्रस्तुत है। वकील यार्थ  
34-1 वकील यार्थ वला रशी कने  
प्रार्थना पत्र 212 RTA कोर प्रेस  
के रालिय मन्थले जाते हेतु  
निवेदन किया है वकील यार्थ के  
कोर प्रेस के <sup>191</sup> कोर प्रेस के रालिय  
मन्थला पत्रावली / पत्रावली कोर प्रेस  
23 मने कोर प्रेस मन्थले।  
पत्रावली काप वकील यार्थ के  
रालिय मन्थले।

  
उपस्थंड अधिकारी  
गोविन्द्याद (अलवर) राज०